बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम०– 144– पटना, दिनांक: 17/10/ 2024

शुद्धि–पत्र

कृषि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम० 61/NHM, दिनांक 04.04.2024 द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में (60:40) अंतर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश 709.646 लाख (सात करोड़ नौ लाख चौसठ हजार छः सौ) रूपये एवं राज्यांश 472.976 लाख (चार करोड़ बहत्तर लाख संतानवे हजार छः सौ) रूपये कुल 1182.44 लाख (ग्यारह करोड़ बेरासी लाख चौवालीस हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका–6, 7 एवं अनुसूची–2 के क्रम संख्या–6 के कॉलम–4 एवं 5, 8(ख) एवं कंडिका–23 के बजट शीर्ष के केन्द्रांश अंतर्गत विपत्र कोड को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

कंडिका संख्या	कंडिका	संशोधित कंडिका
कंडिका–6	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजना के लिए निर्धारित बैंक खाता में भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि (60%) तथा राज्य सरकार का अंश (40%) की राशि की निकासी **कृषि निदेशक**, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर PFMS पोर्टल में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अलग–अलग संधारित की जायेगी। सींगल नोडल एजेन्सी (SNA) के द्वारा प्रत्येक Implementing Agency के लिए निर्धारित स्वीकृत राशि के अधीन समय–समय पर व्यय अधिसीमा निर्धारित कर राशि का व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजना के लिए निर्धारित बैंक खाता में भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि (60%) तथा राज्य सरकार का अंश (40%) की राशि की निकासी **निदेशक उद्यान,** बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर PFMS पोर्टल में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अलग–अलग संधारित की जायेगी। सींगल नोडल एजेन्सी (SNA) के द्वारा प्रत्येक Implementing Agency के लिए निर्धारित स्वीकृत राशि के अधीन समय–समय पर व्यय अधिसीमा निर्धारित कर राशि का व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।
कंडिका–7 एवं अनुसूची–2 के क्र०सं०–6 के कॉलम–4 एवं 5	35% of cost/maximum of Rs. 1.00 lakh/unit	**25% of the cost subject to a maximum of Rs. 0.75 Lakh/unit for general category farmers and in the case of SC, ST, Small and marginal and women farmers of the state 35% of the cost subject to a maximum of Rs. 1.00 Lakh/unit**
कंडिका–8 (ख)	**बागवानी यांत्रिकरण :–** इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों यथा – अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, बाँका ,दरभंगा ,किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, रोहतास, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, जमुई, खगड़िया एवं कटिहार (अनुसूची 6 में वर्णित) में किया जायेगा। **बागवानी यांत्रिकरण हेतु उद्यानिक ट्रैक्टर जिसकी इकाई लागत 3 लाख रूपये प्रति ट्रैक्टर पर 35 प्रतिशत यानि 1 लाख रूपये प्रति ट्रैक्टर अनुदान देय है।** सहायतानुदान ट्रैक्टर क्रय किये जाने के पश्चात् एकमुश्त दिया जायेगा। (जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–6 के रूप में संलग्न)।	**बागवानी यांत्रिकरण :–** इस घटक का कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों यथा – अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, बाँका ,दरभंगा ,किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, रोहतास, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गया, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, जमुई, खगरिया एवं कटिहार (अनुसूची 6 में वर्णित) में किया जायेगा। **बागवानी यांत्रिकरण हेतु उद्यानिक ट्रैक्टर जिसकी इकाई लागत 3 लाख रूपये प्रति ट्रैक्टर पर सामान्य वर्ग के कृषक को इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 75,000.00 रूपये प्रति यूनिट एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघु एवं सीमांत कृषक तथा महिला कृषक हेतु 35 प्रतिशत यानि** 1 **लाख रूपये प्रति ट्रैक्टर अनुदान देय है। सहायतानुदान ट्रैक्टर क्रय किये जाने एवं पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के पश्चात् एकमुश्त दिया जायेगा।** (जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–6 के रूप में संलग्न)।

D:\E Sun a from april 23\Uttam Sir\Sudhi patra NHM Protected Cultivation dt 24.09.24.doc

कंडिका–23 के बजट शीर्ष के केन्द्रांश अंतर्गत विपत्र कोड	**एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रांश)** मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष –119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें–माँग संख्या–01, उपशीर्ष –0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना) **विपत्र कोड 01–2401001090224**, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान– 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	**एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रांश)** मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष –119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें–माँग संख्या–01, उपशीर्ष –0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नती योजना) **विपत्र कोड 01–2401001190224**, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।

3. उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम० 61/NHM, दिनांक 04.04.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं शेष कंडिकाएँ एवं शर्ते यथावत् रहेंगी।

4. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम०–144– पटना, दिनांक : 17/10/2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम०–144– पटना, दिनांक : 17/10/2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रीमण्डल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम०–144– पटना, दिनांक : 17/10/2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम०–144– पटना, दिनांक : 17/10/2024

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/108/2024 पी०पी०एम०–144– पटना, दिनांक : 17/10/2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य (योजना), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)/सभी उप निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एंव कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी कोषागार पदाधिकरी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।